राज्य सरकार का पत्र क्रमांक : प.19(16)शिक्षा-2/2013 जयपुर, दिनांक 05.03.2020 के अनुसार में श्री बब्बर्स लाल, प्राथमिक--इंडिहारा, शासनिणी गहलोता, बुधू जिला जयपुर की प्रतिनिधियुक्त डॉ. रायाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर में पुस्तकालयशिक्षा-प्रशिक्षण के पद पर "राजस्थान सेवा नियम-144 "क" के तहत एवंदुर्गा अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्थाप्रशिक्षण कार्यक्रिया को तकालीन कार्यभार कर पालना से इस कार्यलय को अवय दिखावे।

(सौरभ स्वागत)
आई.ए.ए.सा.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: [शहर] भारत [शहर] [लैंड] [प्रौद्योगिकी] [मक] 26 डिसेंबर

प्रतिलिपि:-- निर्माण प्रशिक्षण को सुधारने एवं आवश्यक कार्यवात हेतु प्रेषित है :- 06/09/2022

1. संस्थापन शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (मुख्य-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
4. अनुभु अधिकारी, संस्थापन- (सी-2), कार्यालय हार्जा।
5. संबंधित कार्यक्रिया।
6. रक्षित पत्रावली।

[संयुक्त निदेशक (कार्यक्रिया)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर]